

सं.आई.12014/1/2016/स्था.सात/1-2  
भारत सरकार  
केन्द्रीय जल आयोग

सेवा भवन, आर.के. पुरम,  
नई दिल्ली - 110066.

दिनांक: ०४ जनवरी, 2018

सेवा में

श्री पी.के. सिंह,  
923, सरस्वती पुरम,  
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय कैम्पस,  
नई दिल्ली - 110067.

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत माँगी गई सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा स्थानांतरित आपके सूचना का अधिकार आवेदन रजिस्ट्रेशन सं. MOWRC/R/2017/00339 दिनांक 12.12.2017 के तहत माँगी गई सूचना का स्थापना-7 अनुभाग, केन्द्रीय जल अयोग से संबंधित बिन्दुवार उत्तर निम्नप्रकार हैं:-

| क. सं. | प्रश्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उत्तर                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.     | पूर्व मंत्री, जल संसाधन, गंगा संरक्षण एवं नदी विकास मंत्री (सुश्री उमा भारती) के 6 अकबर रोड आवसीय कार्यालय में कार्यरत जल संसाधन, गंगा संरक्षण एवं नदी विकास मंत्रालय एवं मंत्रालय के विभिन्न विभागों एवं पीएसयु के पदस्त कर्मचारियों की जानकारी प्रदान करें।                                                                                                                         | -शुन्य-                   |
| 2.     | पूर्व मंत्री, जल संसाधन, गंगा संरक्षण एवं नदी विकास मंत्री (सुश्री उमा भारती) के मंत्रालय बदले जाने के बाद 6 अकबर रोड आवसीय कार्यालय में कार्यरत जल संसाधन, गंगा संरक्षण एवं नदी विकास मंत्रालय एवं मंत्रालय के विभिन्न विभागों एवं पीएसयु (MOWR, CWC, WAPCOS, NPCC, CGWB, CSMRS) के पदस्त कर्मचारियों को किस दिनांक को उनके मूल विभाग में भेजे गये आदेशों की फोटो कांपी प्रदान करें। | -उपरोक्त बिन्दू (1) जैसे- |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 3. | पूर्व मंत्री, जल संसाधन, गंगा संरक्षण एवं नदी विकास मंत्री (सुश्री उमा भारती) के मंत्रालय बदले जाने के बाद 6 अकबर रोड आवसीय कार्यालय में कार्यरत जल संसाधन, गंगा संरक्षण एवं नदी विकास मंत्रालय एवं मंत्रालय के विभिन्न विभागों एवं पीएसयु (MOWR, CWC, WAPCOS, NPCC, CGWB, CSMRS) के पदस्त कर्मचारियों को किस दिनांक को उनके मूल विभाग में गया उनके 1/09/2017 से 04/10/2017 तक की हाजरी की फोटो कांपी या बायोमेट्रिक की उपस्थित की फोटो कांपी एवं जानकारी प्रदान करें। | —उपरोक्त बिन्दू (1) जैसे— |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

2. यदि आप अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिए गए सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो प्रथम अपीलीय प्राधिकरण का नाम एवं पता निम्नप्रकार है, जिनको आप उत्तर पाने के 30 दिनों के अन्दर सूचना का अधिकार के धारा 19(1) के अन्तर्गत अपना अपील दायर कर सकते हैं।

श्री मोती लाल,  
संयुक्त सचिव  
केन्द्रीय जल आयोग,  
ए.सी.-4, 8वॉ तल, सेवा भवन  
नई दिल्ली - 110066.  
दूरभाष/फैक्स न. 011-26711049

भवदीय,



(राजेश शर्मा)  
अवर सचिव(स्था.7) एवं सी.पी.आई.ओ.  
दूरभाष: 011-29583317

प्रति :-

अवर सचिव(नोडल अधिकारी), आर.टी.आई, के0ज0 आयोग, नई दिल्ली।